

छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्र. 6067 / एफ-7-95 / 31 / एस-2 / 2022,
प्रति,

अटल नगर, दिनांक 12 / 12 / 2022

मुख्य अभियंता,
मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना,
जल संसाधन विभाग,
बिलासपुर (छ.ग.)

विषय :- कोरबा जिले के मिनीमाता बांगो परियोजना अंतर्गत बांगो बांध के अपस्ट्रीम में कांक्रीट का अविनाशी (Non Destructive testing) परीक्षण एवं अन्य परीक्षणों का कार्य की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति।

संदर्भ :- छ.ग. शासन का पत्र क्र.-3825 / एफ-7-95 / 31 / एस-2 / 2022, दिनांक 29.07.2022.


—00—

राज्य शासन एतद् द्वारा कोरबा जिले के मिनीमाता बांगो परियोजना अंतर्गत बांगो बांध के अपस्ट्रीम में कांक्रीट का अविनाशी (Non Destructive testing) परीक्षण एवं अन्य परीक्षणों का कार्य हेतु रु.350.58 लाख (रूपये तीन करोड़ पचास लाख अन्दावन हजार) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. प्रस्तावित कार्य अंतर्गत बांगो बांध के अपस्ट्रीम में कांक्रीट का अविनाशी (Non Destructive testing) परीक्षण एवं अन्य परीक्षणों का किया जाना प्रस्तावित है।
3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को दिया जावे।
4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम-10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
5. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या-23, लेखाशीर्ष-4700-वृहद सिंचाई पर पूंजी परिव्यय [01]-हसदेव बांगो परियोजना {800}-अन्य व्यय, 0101 राज्य आयोजना (सामान्य) (5685) बांध सुरक्षा एवं सुदृढ़ीकरण #26 वृहद निर्माण कार्य, 005 बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
6. वित्त विभाग द्वारा उनके जावक क्रमांक-1056 / सी.एन.-31-00376 / बजट-2 / वित्त / चार / 2022, दिनांक 11.11.2022 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।
7. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
8. निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
9. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार


02/12/22
(प्रेमसिंह घरेन्द्र)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

जल संसाधन विभाग

पृ.क्र. 6068 / एफ-7-95 / 31 / एस-2 / 2022,
प्रतिलिपि :-

अटल नगर, दिनांक 12/12/2022

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
 2. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
 3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
 4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
 5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
 6. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
 7. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
 8. कलेक्टर, जिला-कोरबा (छ.ग.)।
 9. संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
 10. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर।
 11. उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.-एम 4-22 अटल नगर।
 12. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट, कार्यालय प्रमुख अभियंता, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर-अटल नगर।
 13. अधीक्षण अभियंता, हसदेव परियोजना मंडल रामपुर/कोरबा, जिला-कोरबा।
 14. कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक-3, माचाडोली, जिला-कोरबा।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
15. आदेश फोल्डर।


2022/12/22

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग